

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक राजस्थान पुलिस
अकादमी, नेहरू नगर, जयपुर

क्रमांक :- 1254-60

दिनांक 23.7.16

आदेश

दिनांक 19.07.2016 को सदस्य सचिव, सी.डी.पी.एस.एम. एवं अध्यक्ष एकजीक्यूटिव कमेटी की अध्यक्षता में आयोजित एकजीक्यूटिव कमेटी की बैठक में आर.पी.ए., परिसर में स्थित ऑडिटोरियम एवं कॉन्फ्रेंस हॉल के रख-रखाव हेतु पूर्व में निर्धारित राशि के आदेशों में आंशिक संशोधन किये जाने का निर्णय लिये जाने के कारण निम्न तालिका अनुसार राशि निर्धारित की जाती है :-

1. ऑडिटोरियम के रख रखाव हेतु निर्धारित राशि :-

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपयों में)
1.	न्यूनतम 4 घण्टे के उपयोग हेतु	20000
2.	4 घण्टे से अधिक, 8 घण्टे तक के लिए	30000
3.	8 घण्टे से अधिक, 12 घण्टे तक के लिए	40000
4.	फूड कोर्ट प्रतिदिन	10000
5.	धरोहर राशि (रिफण्डेबल)	10000
6.	पूर्व अभ्यास हेतु	देय शुल्क का 50 प्रतिशत
7.	स्वयं की प्रार्थना पर निरस्त करवाने पर	देय शुल्क का 20 प्रतिशत

2. कॉन्फ्रेंस हॉल के रख रखाव हेतु निर्धारित राशि :

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपयों में)
1	कॉन्फ्रेंस हॉल नं0 01	
	न्यूनतम 4 घण्टे के उपयोग हेतु	5000
	4 घण्टे से अधिक, 10 घण्टे तक के लिए	10000
2	कॉन्फ्रेंस हॉल नं0 02	
	न्यूनतम 4 घण्टे के उपयोग हेतु	3000
	4 घण्टे से अधिक, 10 घण्टे तक के लिए	5000
3	कॉन्फ्रेंस हॉल नं0 03	
	न्यूनतम 4 घण्टे के उपयोग हेतु	7500
	4 घण्टे से अधिक, 10 घण्टे तक के लिए	10000

१

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपयों में)
4	कॉन्फ्रेंस हॉल नं0 04	
	न्यूनतम 4 घण्टे के उपयोग हेतु	5000
	4 घण्टे से अधिक, 10 घण्टे तक के लिए	7500
5	स्वयं की प्रार्थना पर निरस्त करवाने पर	देय शुल्क का 20 प्रतिशत

23.7.16

(राजीव दासोत)
अति० महानिदेशक पुलिस
एवं निदेशक,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए., जयपुर।
2. समस्त सहा० निदेशक, आर.पी.ए., जयपुर।
3. सहा० निदेशक (सी.डी.पी.एस.एम) आर.पी.ए., जयपुर
4. संचित पुलिस निरीक्षक (प्रशासन) आर.पी.ए., जयपुर।

23.7.16

अति० महानिदेशक पुलिस
एवं निदेशक,
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।